उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2,
संख्याः 675/VII-A-2/2022/17-उद्योग/2013
दिनांक : 29 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1675/VII-A-2/2021/17-उद्योग/2013 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के क्रम में राज्य में लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन हेतु प्रख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित परिचालन दिशानिर्देश बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 परिचालन दिशानिर्देश, 2022

अध्याय–एक

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं लागू होना

(1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 परिचालन दिशानिर्देश, 2022 है। (संक्षेप में एमआईआईपी परिचालन दिशानिर्देश 2022)

(2) यह दिशानिर्देश मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 प्रख्यापित होने की तारीख से अर्थात् 31 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होंगे तथा नीति की वैधता अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

(3) पात्र उद्यम/इकाइयां मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति, 2021 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा के प्रारम्भ करने के दिनांक से नीति की वैधता अवधि के भीतर अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्पष्टीकरणः मेगा औद्योगिक और निवेश नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत स्थापित/स्थापनाधीन नयी तथा विस्तारीकरण की परियोजनाओं/इकाईयों को उक्त नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 640/2016/VII-1/17-उद्योग/2013 दिनांक 28.07.2016 से प्रख्यापित मेगा औद्योगिक और निवेश नीति के परिचालन दिशा–निर्देश–2016 के प्राविधानों के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

2. परिभाषाऐं

(क) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने से अभिप्रेत है:

(i) नई इकाई के लिए वह तिथि जिस पर इकाई तैयार उत्पादों का पहला बिक्री बिल जारी करती है।

(ii) विस्तार के लिए निवेश करने वाली मौजूदा इकाई के लिए, वह तारीख जिस पर इकाई विस्तार के पूरा होने के बाद तैयार उत्पाद का पहला बिक्री बिल जारी करती है।

महानिदेशक/आयुक्त
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून

(ख) **"सक्षम प्राधिकारी"** से क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी अथवा अभिकरण अथवा प्रतिनिधि, जिन्हें नीति के क्रियान्वयन के लिए इन दिशानिर्देशों के अधीन विशिष्ट प्राधिकार सौंपे गये हैं, अभिप्रेत है ;

(ग) **"संवितरण अभिकरण"** से उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (संक्षिप्त में सिडकुल) या ऐसे अन्य अभिकरण/विभाग जिन्हें समय–समय पर इस नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु अधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है ;

(घ) **"विद्युत अधिभार"** का अर्थ वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत इलेक्ट्रीसिटी (अधिभार) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 में परिभाषित किया गया है।

(ङ) "मौजूदा औद्योगिक इकाई" से ऐसी औद्योगिक इकाई, अभिप्रेत है जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 से पहले स्वनिर्मित उत्पाद के व्यवसायिक उत्पादन तथा सेवा का प्रचालन कर रही हो तथा जिसने इकाई के विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / विविधीकरण के लिए www.investuttarakhand.com पोर्टल पर संयुक्त आवेदन प्ररूप–1 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के अनुमोदन से परियोजना के विस्तार के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो ;

(च) औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा/विशेष औद्योगिक संपदा या कोई अन्य अधिसूचित/चिन्हित भूमि से अभिप्रेत है:

(i) सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक पार्क/आस्थान।

(ii) राज्य औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित निजी औद्योगिक क्षेत्र / आस्थान / विशेष औद्योगिक आस्थान ;

(iv) राज्य में संबंधित विनियमित क्षेत्रों के जोनल मास्टर प्लान में औद्योगिक/वाणिज्यिक/और चिन्हित की गई सेवा गतिविधियों के उपयोग के लिए अधिसूचित और चिन्हित भूमि ;

(v) पात्र गतिविधियों के लिए विनियमित क्षेत्रों में अधिसूचित अथवा चिन्हित ऐसी भूमि, जिस पर परियोजना की स्थापना के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन मानचित्र को अनुमोदित कर दिया गया है ;

(vi) उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित किया गया हो ;

(छ) **"औद्योगिक/सेवा क्षेत्र"** की इकाई से ऐसी कोई औद्योगिक इकाई/परियोजना अथवा पात्र सेवा क्षेत्र का उद्यम अभिप्रेत है जो कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अर्थात एक पंजीकृत उद्यम हो तथा जिसकी स्थापना के लिए भारत सरकार, उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (औद्योगिक सहायता सचिवालय) में आईईएम पार्ट–ए (आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र) दाखिल कर अभिस्वीकृति प्राप्त

की गयी हो ;

(ज) **"कार्यान्वयन एजेंसी"** से उत्तराखण्ड सरकार का औद्योगिक विकास विभाग या महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड का कार्यालय, जिसे नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, अभिप्रेत है ;

(झ) **"लार्ज प्रोजेक्ट"** अथवा "लार्ज इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्करों में रू. 50 करोड़ से रू. 75 करोड़ तक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;

(ञ) **"मेगा प्रोजेक्ट"** अथवा "मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्करों में रू. 75 करोड़ से रू. 200 करोड़ तक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;

(ट) **"विनिर्माणक उद्यम"** से औद्योगिक उपक्रम या कोई अन्य प्रतिष्ठान, जो भी नाम से जाना जाता है, किसी भी तरह से माल के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है, जो उद्योगों (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951) (1951 का 55) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से सम्बन्धित है और जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्माणक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो, अभिप्रेत है ;

(ठ) **"नई औद्योगिक इकाई"** से वह औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने 31 दिसम्बर, 2021 से पहले लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजना की स्थापना के लिए एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com पोर्टल पर संयुक्त आवेदन प्ररूप–1 पर आवेदन कर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के अनुमोदन से परियोजना की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो ;

(ड) **"नई परियोजना/इकाई"** से वह परियोजना/इकाई जिसने मेगा औद्योगिक और निवेश नीति–2021 (एमआईआईपी–2021) की वैधता अवधि के दौरान स्थापित होकर अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ;

(ढ) **"नोडल अभिकरण"** से उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ अथवा एकल खिड़की व्यवस्था प्रकोष्ठ अभिप्रेत है, जिसे इस नीति के अन्तर्गत आवेदनों को प्राप्त करने, समुचित स्तर पर आवेदनों की संवीक्षा/परीक्षण तथा स्वीकृति के लिए अग्रसारित/प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया हो। उद्योग निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ;

(ण) **"नीति"** से मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 अभिप्रेत है ;

(त) **"संवीक्षा समिति"** से इन दिशानिर्देशों के संलग्नक परिशिष्ट–क में यथाउल्लिखित दिशानिर्देश और नीति के अधीन प्राप्त आवेदनों और दावों की सवींक्षा के लिए गठित समिति अभिप्रेत है।

(थ) **"सेवा उद्यम"** से सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे हुए ऐसे उद्यम, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय–2006 में परिभाषित किया गया हो और यह गतिवधि इस नीति के अन्तर्गत पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित हो, अभिप्रेत है ;

(द) **"स्टाम्प अधिमार"** से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन देय स्टाम्प अधिभार के रूप में परिभाषित अधिभार अभिप्रेत है ;

(ध) **"राज्य वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)"** से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या–6 वर्ष, 2017) की धारा 9 के अधीन उदग्रहीत राज्य वस्तु और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(न) **"राज्य स्तरीय समिति"** से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (जिसे यहां आगे एकल खिडकी अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित समय–समय पर यथासंशोधित सम्बन्धित नियमों अथवा नीति के अधीन लाभ की स्वीकृति के लिए समय–समय पर यथाविहित कोई अन्य समिति के रूप में यथाविहित राज्य स्तरीय समिति अभिप्रेत हैं।

(प) "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा अभिनवीकरण के प्रयोजन के लिए मौजूदा औद्योगिक इकाई/परियोजना की भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी / उपस्करों में, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अचल पूंजी निवेश की सीमा, यथाः रू. 50 करोड़, रू. 75 करोड़, रू. 200 करोड़ तथा रू. 400 करोड़ या उससे अधिक स्थिर पूंजी निवेश की अभिवृद्धि अभिप्रेत है ;

(फ) "सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "सुपर अल्ट्रा मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्करों में रू. 400 करोड़ से अधिक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;

(ब) "अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "अल्ट्रा मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्करों में रू. 200 करोड़ से रू. 400 करोड़ तक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;

3. **पात्रता मानदण्ड**

(क) इस दिशा–निर्देश के पैरा–2(ञ) में चिन्हित नई औद्योगिक इकाइयों/गतिविधियों या मौजूदा इकाइयों/गतिविधियों, जो निर्दिष्ट/परिभाषित क्षेत्र/आस्थान/भूमि में स्थापित हों अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण कर रही हैं, इस नीति के अध्याधीन रहेंगी।

(ख) केवल नीति के अन्तर्गत चिन्हित वह नई औद्योगिक इकाई/परियोजना/सेवा उद्यम या मौजूदा इकाई, जो इकाई की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए पचास करोड़ रू0 से अधिक का पूंजी

निवेश कर रही हैं, इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित रहेंगी और मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 में प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों और रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

(ग) अचल पूंजी निवेश की गणना के लिए नई परियोजना/इकाई के मामले में अचल पूंजी परिसंपत्ति के अलावा भूमि का मूल्य और भूमि विकास लागत (जैसा कि वास्तव में भुगतान किया गया / भुगतान किया जाना आवश्यक है) को जोड़ा जा सकता है, जो प्रत्येक 50 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए 10 एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा के अधीन है।

(घ) मौजूदा इकाई के विस्तार के मामले में, गणना में केवल अतिरिक्त पूंजी निवेश (भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी) को ध्यान में रखा जाएगा। मौजूदा इकाई के विस्तारित हिस्से के लिए इस नीति के अन्तर्गत सभी लाभ, प्रोत्साहन, रियायतें मौजूदा इकाई के विस्तार के प्रत्येक चरण पर लागू होंगे। इस नीति की वैधता अवधि के दौरान संबंधित विस्तारित चरणों के पहले वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से लाभ, प्रोत्साहन और रियायतों पर विचार किया जाएगा।

(ङ) पूंजी निवेश की गणना में भूमि, भवन, नए संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, घटक, मोल्ड, डाई, जिग्स और वास्तविक सम्पत्ति (उपभोज्य, डिस्पोजेबल या राजस्व प्रभार्य वस्तुओं को छोड़कर) इकाई में किया जाने वाला अचल निवेश शामिल होगा, जो मूल रूप से इकाई के संचालन के लिए आवश्यक है।

(च) संयंत्र और मशीनरी से स्थल पर स्थापित नए खरीदे गये औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है तथा इसमें अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफरबिश्ड रांयंत्र और मशीनरी सम्मिलित नहीं हैं।

(छ) राज्य/केन्द्रीय सरकार/विदेशी अभिकरण के अधीन किसी विभाग/अभिकरण से ऐसी इकाईयां जो पूर्व से ही अनुदान /प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं, इस नीति के अधीन समान प्रकृति के प्रोत्साहन को पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. पात्रता प्रमाण पत्र

(क) पात्रता प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा यह सुनिश्चित करने के पश्चात जारी किया जायेगा कि इकाई पात्रता के लिए सभी मानदंड पूरा करती है।

(ख) नीति के अन्तर्गत चिन्हित औद्योगिक इकाई/उद्यम वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ करने के दिनांक से 90 दिन के भीतर विहित प्रारूप पर वांछित दस्तावेजों/अभिलेखों सहित ऑनलाइन नामित नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी।

(ग) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को ऑनलाइन विहित आवेदन पत्र के प्रारूप पर आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की मुद्रित तीन प्रतियां अपेक्षित अभिलेखों सहित नोडल अभिकरण को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी।

(घ) नोडल एजेंसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि शुरू में आवेदन पत्र की

जांच करेंगे कि आवेदन पत्र ठीक से भरा गया है और क्या आवश्यक रिकॉर्ड आदि आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं तथा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पंजिका में इसे दर्ज करेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र आवेदन की जांच/परीक्षा के लिए वितरण एजेंसी सिडकुल को अग्रेषित किया जाएगा। संवितरण एजेंसी सिडकुल मुख्य रूप से आवेदन और उसके रिकॉर्ड की जांच करेगी और जांच के बाद आवेदन को संवीक्षा समिति के समक्ष अंतिम सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित संबंधित इकाई को वापस कर दिया जाएगा।

(ङ) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।

(च) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी। राज्य स्तरीय समिति से पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अभिकरण का प्राधिकृत अधिकारी एक सप्ताह के भीतर विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(छ) मौजूदा इकाईयों के विस्तार के मामलों में विस्तारीकरण से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख, पूंजी निवेश, रोजगार तथा उत्पादित उत्पाद/प्रदत्त सेवा का विवरण (उत्पादन क्षमता सहित) विस्तार के पश्चात होने वाले पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, प्रस्तावित उत्पाद/सेवा (उत्पादन क्षमता सहित), उद्यम रजिस्ट्रेशन अथवा आईईएम पार्ट–बी तथा पार्ट–ए की प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगी।

(ज) विस्तारीकरण के अधीन विद्यमान इकाई के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन प्रारूप के साथ चार्टेड इंजीनियर/चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्लाण्ट व मशीनरी/उपस्कर तथा भवन के आंकलन तथा पूंजी निवेश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विस्तारित प्रयोजन के लिए इकाई के पूंजी निवेश का आंकलन विस्तारीकरण के पश्चात प्रस्तावित उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रदत्त सेवा के प्रचालन की तारीख तक किये गये पूंजी निवेश के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

(झ) पात्रता प्रमाण पत्र के आवदेन के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को गुण दोष के आधार पर राज्य स्तरीय समिति मर्सित करने की अनुमति दे सकेगी।

(ञ) जब तक राज्य स्तरीय समिति किसी दावे को अनुमोदित करने, नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन के लिए कोई अधिकार या दावे की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं करती, तब तक यह नहीं समझा जायेगा कि इकाई नीति की शर्तों को पूर्ण करती है।

(ट) सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा नीति के अधीन जारी किए गये पात्रता प्रमाण पत्र के बिना नीति के अंतर्गत किसी प्रोत्साहन के लिए कोई दावा नही किया जा सकेगा और सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के

लिए पात्रता प्रमाण पत्र की वास्तविक शर्तों का अनुपालन इकाई को करना होगा।

(ठ) क्रियान्वयन अभिकरण के निर्णय ऐसे निर्देशों के अधीन जैसा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किये जायें, के अध्यधीन अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

(ड) पात्रता प्रमाणं पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् नीति के अधीन कोई इकाई सभी प्रकार के रियायतों, प्रोत्साहनों, सहायकी (सब्सिडी), प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए अर्ह हो जायेंगे।

5. अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र (पीईसी)

(क) अनंतिम पात्रता प्रमाण ऐसा प्रमाण पत्र है, जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई इकाई की स्थापना अथवा मौजूदा इकाई के विस्तारीकरण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा प्रचालन करने से पूर्व सिडकुल से भूमि दरों में छूट/रियायत तथा लीज अथवा क्रय की गयी भूमि के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क प्रभार की प्रतिपूर्ति का दावा करना हो।

(ख) मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 के अधीन अनंतिम पात्रता प्रामण पत्र प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित इकाई विहित प्रारूप पर अपेक्षित अभिलेखों तथा प्रमाण पत्रों के साथ नोडल अभिकरण को एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत नई परियोजना की स्थापना/मौजूदा परियोजना के विस्तारीकरण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(ग) अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बाद आवेदन पत्र की मुद्रित/कागजी तीन प्रतियां अपेक्षित अभिलेखों सहित 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित नोडल अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(घ) नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की जायेगी। नोडल अभिकरण आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति की संवीक्षा हेतु सिडकुल को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जयेगा।

(ङ) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।

(च) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी। राज्य स्तरीय समिति से पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अभिकरण का प्राधिकृत अधिकारी एक सप्ताह के भीतर विहित प्रारूप में अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(छ) अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, नीति के अन्तर्गत एक इकाई भूमि दरों में सिडकुल को रियायत/छूट के लिए आवेदन करने तथा स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।

(ज) नई इकाई की स्थापना या मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए आईईएम पार्ट–ए की पावती सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (औद्योगिक सहायता सचिवालय) भारत सरकार या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सक्षम प्राधिकारी से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है ।

6. **सिविल कार्यों और संयंत्र तथा मशीनरी के अर्ह/अनर्ह सामग्री**

(क) **अर्ह सिविल कार्यः**– विनिर्माण प्रक्रिया/सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुड़े निम्नलिखित सिविल कार्य अर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अर्ह माने जायेंगेः–

(i) विनिर्माण और आवश्यक सहायक प्रक्रियाओं में सीधे सम्बद्ध उपयोगिता क्षेत्रों सहित कारखाना शेड/भवन अर्थात संयंत्र भण्डार, गुणवत्ता नियंत्रण, विद्युत कक्ष, अनुरक्षण कार्यशाला (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दरें, जो भी कम हो)।

(ii) प्रभावी एसआईडीए मानक के अनुसार आवश्यक आवासीय सुविधाएं जो लागू हो।

(iii) कारखाना परिसर पर कच्चे माल और तैयार उत्पाद के गोदाम का निर्माण (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित प्रभावी दरें, जो भी कम हो)।

(iv) आवश्यक सिविल सन्निर्माण कार्य जैसे मशीन, उपस्कर (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग अनुसूची की प्रभावी दरें, जो भी कम हो)।

(v) अभियंता प्रमाण पत्र विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) सिविल कार्यों की वास्तविक लागत विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) **अनर्ह सिविल कार्यः** विनिर्माण प्रक्रिया/सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुड़े निम्नलिखित सिविल कार्य अनर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अनर्ह माने जायेंगे (सूची सम्पूर्ण नही है)–

(i) चारदीवारी तथा गेट।

(ii) पहुंच सड़क/आंतरिक सड़क।

(iii) कार्यालय भवन/कार्यालय हेतु उपयोग क्षेत्र।

(iv) कारखाने से अलग स्थान पर कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण हेतु निर्मित गोदाम।

(v) कोई आवासीय भवन या रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस।

(vi) जलपान गृह।

(vii) श्रमिक विश्राम गृह तथा श्रमिकों हेतु आवास।

(viii) सुरक्षा/गार्ड के कमरे या बाढ़ा।

(ix) निर्माण पुल का भार।

(x) परामर्श शुल्क, करें इत्यादि।

(ग) **पात्र संयंत्र तथा मशीनरी:**

(i) सीधे निर्माण प्रक्रिया से जुडे मशीनरी/उपस्करों का प्रारम्भिक मूल्य।

(ii) सीधे निर्माण प्रक्रिया से जुड़े उपकरण की तरह सहायक उपकरण, जिग्स, डाइज, मोल्डस।

(iii) संयंत्र और मशीनरी सहित जुड़ी मोटरें।

(iv) मशीनरी/उपकरणों की स्थापना, निर्माण तथा कमीशन।

(v) परिवहन शुल्क, परिवर्तन बीमा, वैट/सीएसटी, उत्पादन शुल्क, प्रवेश पर कर आदि (स्वदेशी मशीनरी और उपकरणों के मामले में) का भुगतान।

(vi) आयात शुल्क, शिपिंग शुल्क, सीवीडी, कंटेनर हैंडलिंग शुल्क, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क, वैट/सीएसटी भुगतान बंदरगाह से परिवहन शुल्क प्रवेश कर (आयातित मशीनरी/उपकरण के मामले में) आदि।

(vii) गुणवत्ता नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण और अग्निशमन उपकरण।

(viii) आंतरिक विद्युतीकरण, पैनल बोर्ड, समर्पित ट्रांसफार्मर, गैस उत्पादक संयंत्र, विद्युत उत्पादन सेट आदि सहित विद्युत प्रतिष्ठान।

(ix) उपयुक्त राशी सामग्रियों का भुगतान चैक/मांग ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया जायेगा जो पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले बैंक विवरण में दर्शित होना चाहिए।

(x) विनिर्माण क्षेत्र में उत्थापन एवं स्थापना (Erection and Installation) सम्बन्धी प्रभारों का वास्तविक आधार पर किया गया भुगतान।

(xi) चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना।

(घ) **अनर्ह संयंत्र और मशीनरी:**

(i) संयंत्र और मशीनरी सीधे निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है।

(ii) ईधन, उपभोज्य, पुर्जे तथा स्टोर।

(iii) कम्प्यूटर और कार्यालय फर्नीचर।

(iv) वाहन।

(v) सेकण्ड हैण्ड/पुरानी मशीनरी।

(vi) सुरक्षा प्रणाली से सम्बन्धित उपकरण बंद किये सर्किट और सीसीटीवी कैमरे।

(vii) स्टेशनरी सामग्री।

7. अन्य

(क) **पूंजी निवेश का विनिर्धारिणः** पूंजी निवेश के विनिर्धारण में उत्पन्न किसी भिन्नता के मामले में राज्य स्तरीय समिति/अनुमोदन प्राधिकारी परीक्षण करेगा और उस पर निर्णय लेगा।

(ख) विस्तारीकरण के अधीन विद्यमान इकाई के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन प्रारूप के साथ चार्टेड इंजीनियर/चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्लाण्ट व मशीनरी/उपस्कर तथा भवन के आंकलन तथा पूंजी निवेश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विस्तारित प्रयोजन के लिए इकाई के पूंजी निवेश का आंकलन विस्तारीकरण के पश्चात प्रस्तावित उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रदत्त सेवा के प्रचालन की तारीख तक किये गये पूंजी निवेश के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

(ग) नीति के अधीन लाभ/ रियायत /प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली नई इकाईयां तथा मौजूदा विस्तारीकरण करने वाली इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा के प्रचालन के छः माह के पश्चात नीति में प्रदत्त रियायतों/वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

(घ) सिविल सन्निर्माण के साथ–साथ संयंत्र और मशीनों में निवेश की अंतिम तारीख, एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से उद्यम रजिस्ट्रेशन/आईईएम–पार्ट–बी में दर्ज वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा प्रचालन की अंकित तिथि तक होगी।

(ङ) संवितरण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्धता और सरकार द्वारा स्वीकृति निधि के आवंटन के अध्यधीन राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रोत्साहन, रियायत, लाभ, प्रतिपूर्ति के सापेक्ष निधि जारी की जा रही है।

(च) राज्य स्तरीय समिति किसी आवेदन पत्र को उसके दावे/संशोधित दावे पर संवीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर अथवा अन्य कतिपय वैध आधार पर अनुमोदित करने या उसे अस्वीकार करने अथवा कोई आवेदन पत्र/दावों को इस प्रयोजन के लिए जैसा कि वह ठीक समझे पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप लंबित रख सकेगा।

(छ) यदि इस बात की पुष्टि हो कि किसी औद्योगिक इकाई ने जाली सूचना देकर धोखे से इस नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने का प्रयास किया है अथवा यदि यह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा प्रचालन के बाद 5 वर्ष के भीतर उत्पादन बन्द कर देती है, तो उस इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ऐसी इकाई को अनुदान अथवा प्रदत्त वित्तीय सहायता लौटाने के लिए कह सकते हैं। यह अनुदान/प्रतिपूर्ति सहायता डिजिटल भुगतान के जरिए जारी की जायेगी तथा सिडकुल लाभार्थी औद्योगिक इकाईयों से इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र ले सकता है। स्कीम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने

वाली लाभार्थी इकाई को वितरण से पूर्व औद्योगिक इकाई और संवितरण अभिकरण सिडकुल के बीच एक अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित किया जायेगा।

(ज) सम्बन्धित प्राधिकारी इकाई द्वारा त्रुटि से उपभोग किए गये लाभों को 30 दिन की अवधि के भीतर वापस करने के लिए कह सकेगा। यदि इकाई ऐसा करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी धनराशि के साथ–साथ उस पर ब्याज और विधि की अधीन यथा अनुज्ञेय ऐसे दण्डात्मक कार्यवाही के साथ–साथ वसूली हेतु सक्षम विधि के न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकेगा।

(झ) भूमि के आवंटन अथवा अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र अथवा पात्रता प्रमाण पत्र की जारी करने की तारीख जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन करने में असफल रहती है तो नीति के अंतर्गत दिये गये लाभों को वापस लिया जा सकेगा। वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से यदि कोई इकाई लगातार तीन वर्षों के उत्पादन के बाद बंद हो जाती है तो सम्बन्धित समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित अनुदान/सब्सिडी की धनराशि सम्बन्धित इकाई को उनके बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जारी कर दी जायेगी।

(ञ) सभी पात्र इकाईयां विहित प्रारूप के अनुसार यह विवरण देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सूचनाएं सही है।

8. उपांतरण / संशोधन इत्यादि की शक्ति

(क) राज्य सरकार को किसी भी समय लोक हित में दिशानिर्देशों के किसी भाग में कोई विस्तार, उपांतरण या निरसन करने का अधिकार होगा।

(ख) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इस नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नही होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।

(ग) राज्य सरकार यदि वह ऐसा चाहे तो समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन/लाभ को उपांतरित करने या कोई शर्त विस्तारित करने या अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगी।

9. विविध

(क) यदि इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

(ख) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।

10. त्रुटियों का सुधार

नीति के अधीन अनुदान की धनराशि के प्रशमन में अभिलेखों पर दर्शित किसी त्रुटि को ठीक करने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश से ऐसी इकाई को अनुदान वितरित कर सकेगी और अधिक भुगतान की वसूली यदि कोई हो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल कर सकेगी। इस योजना के अधीन दिये गये लाभ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के पश्चात जहां पूर्ण रूप से लाभों का उपभोग

किया जा चुका हो, के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

11. अपील

(क) राज्य स्तरीय समिति को सम्बन्धित विभाग/क्रियान्वयन अभिकरण /संवितरण अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध किसी अपील को सुनने और उसके निस्तारण की शक्ति होगी।

(ख) राज्य स्तरीय समिति के किसी आदेश/निर्णय के विरूद्ध कोई अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(ग) अपील के लिए आवेदन पत्र निर्णय को सूचित करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी।

12. स्पष्टीकरण/संशोधन /शोधन जारी करने का प्राधिकरण

(क) उत्तराखण्ड सरकार में लोक हित में जब और जैसा आवश्यक हो नीति को संशोधित/उपांतरित/स्पष्टता करने का अधिकार होगा। यद्यपि इस नीति से संलग्न प्रारूप नीति के क्रियान्वयन में सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जब और जैसे आवश्यक हों, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपांतरित, परिवर्तित, विस्तारित अथवा निरसित किए जा सकेंगे।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।

(ग) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इस नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नही होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।

(घ) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के पास इन दिशानिर्देशों /नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(ङ) औद्योगिक विकास विभाग को किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की सही व्याख्या करने का अधिकार होगा।

अध्याय–दो

पात्र इकाईयों को लाभ/रियायतें/प्रोत्साहन

13. सिडकुल द्वारा भूमि का आवंटन

(क) इन उपबंधों के अधीन भूमि का आंवटन एच्छिक आवेदकों को समय–समय पर अभिनिश्चित दिशानिर्देशों तथा सिडकुल के प्रभावी दरों के अनुसार एकल खिड़की व्यवस्था के अधीन सिडकुल द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस नीति के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि आवंटन में सिडकुल के प्रभावी दरों पर लार्ज प्रोजेक्ट् हेतु 15 प्रतिशत, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु 25 प्रतिशत तथा अल्ट्रा मेगा व सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु 30 प्रतिशत की विशेष छूट/रियायत दी जायेगी।

(ग) इस नीति के अधीन सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत भूमि के आवंटन के समय भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि 5 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगी।

14. पात्र लार्ज/मेगा/अल्ट्रा मेगा/सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए नीति के अधीन प्रोत्साहन और अन्य रियायतें

(i) पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक सावधि ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा व सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए क्रमशः रू. 25 लाख, रू. 35 लाख, रू. 50 लाख व रू. 75 लाख होगी।

(ii) तैयार माल की बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा/मात्रा निम्नानुसार होगी: –

(क) लार्ज प्रोजक्टस के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत।

(ख) मेगा प्रोजक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरण:

(i) माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से

सम्बन्धित हो।

(ii) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा।

(iii) पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से अधिकतम नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 50 लाख प्रतिवर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 75 लाख प्रतिवर्ष, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिन्हित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप–वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को विद्युत बिल में देय प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी की पात्र उद्यमों को शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिन्हित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप–वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(v) भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टाम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

(vi) भूमि के विक्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के पंजीयन में देय प्रति रू. 1000 पंजीकरण शुल्क के सापेक्ष रु. 999 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(vii) ईटीपी संयंत्र की स्थापना पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपया 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान देय होगा।

(viii) **बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु (पे–रौल सहायता) (Payroll assistance):** (पे–रौल सहायता) (Payroll assistance) की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे–रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु पे–रॉल असिस्टेंट सहायता रू. 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

अध्याय–तीन

लाभों के उपबन्ध, प्रक्रियाएं और संवितरण

15. ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता:

(क) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के लिए उपबन्ध।

(i) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/लाभ के अधीन कोई समान लाभ अथवा प्रोत्साहन अथवा सहायकी (सब्सिडी) प्राप्त कर रही इकाईयां इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी।

(ii) ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर स्वीकार्य होगी। नीति के लागू होने से पूर्व लिया गया कोई भी सावधि ऋण, जिसकी पहली किश्त इस नीति के लागू होने से पूर्व संवितरित की जा चुकी हो, पर ब्याज प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण के पुनः भुगतान की अवधि तक जो भी पहले हो, अनुज्ञेय होगी। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की अवधि प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से अनुज्ञेय अवधि तक गणना में ली जायेगी।

(iv) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ऐसे इकाईयों को दी जायेगी जिन्होंने नियमित रूप से वित्तीय संस्थाओं/बैंक को किश्त और ब्याज का भुगतान किया हो। यदि इकाईयां इसमें असफल होंगी तो असफलता अवधि के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता नहीं दी जायेगी और उपर्युक्त उपखण्ड (iii) में यथाउल्लिखित पांच वर्ष की अवधि से ऐसी असफलता अवधि घटा दी जायेगी।

(ख) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के दावे हेतु प्रक्रिया:

(i) नीति के अधीन ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाईयों को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप पर अपेक्षित अभिलेखों के साथ ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का दावा प्रस्तुत करना होगा। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का इस आशय का प्रमाण पत्र कि इकाई द्वारा नियमित रूप से मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान कर रहे हैं, प्रस्तुत करना होगा। बैंक मूलधन/ब्याज़ के पुनर्भुगतान में किसी असफलता के बारे में भी प्रमाण पत्र में उल्लेख करेंगे। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रथम आवेदन पत्र वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात 45 दिन के भीतर किया जायेगा। ततपश्चात के दावे त्रैमासिक आधार पर त्रैमास समाप्ति के बाद 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का संवितरण करने के लिए प्रक्रिया:**

(i) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का संवितरण केवल वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात किया जायेगा।

(ii) नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति से सूचना प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और स्वीकृत धनराशि त्वरित रूप से सम्बन्धित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

16. विद्युत सहायता/विद्युत देयक सहायकी (सब्सिडी)

(क) **विद्युत सहायता के लिए उपबंध**

(i) पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पांच वर्षों के लिए यह सहायता दी जायेगी।

(ii) लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात आगामी पांच वर्षों तक उत्पादन कार्य में उपभोग की गयी विद्युत के बिलों पर रू. 1 प्रति यूनिट की दर से अधिकतम निर्दिष्ट सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 50 लाख प्रतिवर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 75 लाख प्रतिवर्ष, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रू. 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

(iii) पात्र विनिर्माणक इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पांच वर्ष तक विद्युत अधिभार का शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी।

(iv) भुगतानित विद्युत अधिभार तथा उपभोग की गई विद्युत यूनिट पर एक रूपया प्रति की प्रतिपूर्ति केवल विनिर्माण/उत्पादन अथवा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए जो कि इकईयों को औद्योगिक प्रयोग के लिए दिये गये एकल संयोजनों पर लागू होगी।

(ख) **विद्युत सहायता के दावे हेतु प्रक्रिया:**

(i) विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता तथा विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र इकाईयां विहित प्रारूप पर नोडल अभिकरण के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पात्र इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात 45 दिन के भीतर अपना प्रथम दावा प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात त्रैमासिक आधार पर त्रैमास समाप्ति के उपरान्त

45 दिन के भीतर दावे प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के रतर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई **विद्युत सहायता/विद्युत देयक सहायकी** के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **विद्युत सहायता से संवितरण की प्रक्रिया:**

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

17. **स्टाम्प अधिभार:**

(क) **स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध।**

पात्र इकाईयों को भूमि क्रय/भूमि पट्टे के निष्पादन पर स्टाम्प अधिभार के भुगतान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) **स्टाम्प अधिभार छूट के लिए प्रक्रिया:**

(i) इस नीति के अधीन विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के लिए अथवा नई इकाई के स्थापना के लिए पात्र इकाईयां विहित प्रारूप में "स्टाम्प अधिभार के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन" प्रारूप में सम्यक रूप से पूर्ण

भरा गया आवेदन पत्र नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेगा। विलेख के निष्पादन के पश्चात 45 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति सहायता का दावा अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई **स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति** के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **भुगतानित स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के लिए प्रकिया:**

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

18. निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति:

(क) **निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध:**

इस नीति के अधीन पात्र इकाई को क्रय विलेख पत्र/पट्टा विलेख के निबन्धन के लिए भुगतानित शुल्क के सापेक्ष प्रति रू. 1000 निबन्धन शुल्क पर रू. 999 की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

(ख) **निबन्धन शुल्क के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रकियाः**

(i) भुगतानित निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई भूमि क्रय/भूमि विलेख के निबन्धन के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चार्टेड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के साक्ष्य एवं भुगतानित निबन्धन शुल्क के विवरण सहित विहित प्रारूप में "रजिस्ट्रीकरण शुल्क के प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र" में सम्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां के उपखण्ड **(i)** में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई **रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति** के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **संवितरण हेतु प्रक्रियाः**

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

19. ईटीपी पर पूंजीगत उपादानः

(क) ईटीपी संयंत्र की स्थापना हेतु उपादान के लिए उपबंधः

(i) पात्र परियोजनाओं/इकाईयों को नीति के अधीन, ईटीपी संयंत्र की स्थापना लागत पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपया 50 लाख की पूंजीगत उपादान सहायता दी जायेगी।

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/पैकेज के अधीन समान सहायकी प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूंजी सहायकी के लिए अर्ह नही होगी।

(iii) ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी इटीपी के स्थापना से सीधे जुड़े हुए नियत पूजी निवेश पर आंगणित की जायेगी।

(iv) पात्र इकाईयां ईटीपी संयंत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के पश्चात ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।

(ख) ईटीपी के स्थापना पर उपादान दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः

(i) ईटीपी के स्थापना पर पूंजीगत उपादान प्राप्त करने की इच्छुक पात्र इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को तथ्यों की पुष्टि में बिल वाउचर्स, भुगतान के विवरण, शपथपत्र और चार्टेड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के विवरण विहित प्रारूप में "ईटीपी हेतु सहायकी के दावों के लिए आवेदन पत्र" में प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां ऊपर उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य रतरीय समिति की यह राय है कि इकाई **ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी** के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई

तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **संवितरण हेतु प्रक्रिया:**

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

20. उच्च रोजगार सृजन उन्नयन के लिए पे–रौल सहायता:

(क) **पे–रौल सहायता के लिए उपबंध:**

(i) (पे–रौल) (Payroll assistance) सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे–रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रू. 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

(ii) अतिरिक्त कर्मचारी से निर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों से अधिक कर्मचारियों की संख्या अभिप्रेत है।

(iii) केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/पैकेज के अधीन समान सहायकी उपभोग करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूंजी सहायकी के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) **पे–रौल सहायता के दावों के लिए प्रकिया:**

(i) पे–रौल सहायता की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई निर्दिष्ट संख्या से अधिक कर्मचारियों के नियोजन के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र तथ्यों/साक्षयों तथा श्रम विभाग द्वारा प्रमाणित विवरण विहित प्रारूप में "पे–रॉल सहायता के दावों के लिए आवेदन पत्र" में प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां ऊपर अध्याय–तीन के खण्ड 6(b)(i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई पे–रौल सहायता के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **संवितरण हेतु प्रक्रिया:**

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

21. एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति:

(क) **एसजीएसटी के लिए उपबन्ध:**

(i) औद्योगिक इकाई/परियोजना अपने उद्यम को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत करायेगी।

(ii) स्वनिर्मित माल/वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी:–

(क) लार्ज प्रोजक्टस के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत।

(ख) मेगा प्रोजक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरण:

(i) माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

(ii) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा।

(ख) **एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया:**

(i) पात्र विनिर्माणक इकाईयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार राज्य माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में

जमा की जायेगी तथा काई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) के अनतर्गत दिये गये, ऐसे एस0जी0एस0टी0 के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपखण्ड–(i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के रामक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तरीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई **एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता** के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) **संवितरण हेतु प्रक्रिया:**

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

अध्याय चार

विभिन्न प्रोत्साहन/लाभ रियायतों के लिए आवेदन किए जाने हेतु आवेदन पत्र, प्रारूप, परिशिष्ट और संलग्नक

नीति के अधीन विभिन्न प्रोत्साहनों/लाभों/रियायतों इत्यादि के लिए आवेदन पत्र, प्रारूप, परिशिष्ट और संलग्नक निम्नवत है। ये क्रियान्वयन अभिकरण, नोडल अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा समय–समय पर जैसा अपेक्षित हो, यथाविहित नये प्रारूपों और ढांचों में उपांतरित अथवा परिवर्तित किये जा सकते है:

क्र.सं.	विवरण	प्रपत्र विवरण
1.	संवीक्षा समिति	परिशिष्ट – 1
2.	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (नई इकाई)	ईसी–1
3.	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (विद्यमान इकाई)	ईसी–1 क
4.	पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	ईसी–2
5.	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन	पीईसी–1
6.	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	पीईसी–2
7.	ब्याज सहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (आईएनटी)
8.	एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (दावा)
9.	विद्युत देयक में सब्सिडी/विद्युत सहायता के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीबीआर)
10.	स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (एसटीडी)
11.	रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (आरजीएफ)
12.	ईटीपी की सहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (इटीपी)
13.	पे–रौल सहाय के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीआरए)
14.	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (समस्त नई इकाईयों हेतु)	अभियंता (नई इकाई)
15.	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (विद्यमान इकाईयों हेतु)	अभियंता (विद्यमान इकाई)
16.	सिविल कार्य की वास्तविक लागत का वक्तव्य	–
17.	संयंत्र और उपस्कर तथा अन्य सम्पत्ति पर निवेश का विवरण	–
18.	चार्टेड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (नई इकाई)	सीए–1
19.	चार्टेड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (मौजूदा विद्यमान इकाई)	सीए–2
20.	शपथ पत्र का प्रारूप	शपथ पत्र
21.	उपक्रम का प्रारूप	उपक्रम

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

परिशिष्ट 'क'

संवीक्षा समिति

क्र.सं.	समिति के सदस्य	पद
1.	प्रमुख सचिव/सचिव (उद्योग), उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि, जो निदेशक उद्योग के स्तर के हों।	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।	सदस्य
4.	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5.	निदेशक, वित्त/वित्त नियंत्रक, सिडकुल।	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक, सिडकुल।	सदस्य सचिव

संख्याः 675 (1)/VII–A–2/2022/17–उद्योग/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, मंत्रिपरिषद, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक/आयुक्त–उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक- उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि आगामी सरकारी गजट में उक्त सरकारी कार्यालय ज्ञाप की 200 प्रतियां प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।